



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-11/2025/डी-5272

दिनांक 10/2/2025

श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री देव प्रकाश मीणा
निवासी ए-39, प्रेम कॉलोनी, मीणा नर्सरी,
सूर्य नगर, तारो की कुंट टोंक रोड,
जयपुर।

विषय:-निजी खातेदारी की आवासीय योजना "राधा गोविन्द नगर-बी" ग्राम मुहाना
तहसील सांगानेर जिला जयपुर का योजना मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निजी
खातेदारी में स्थित ग्राम मुहाना तहसील के खसरा नम्बर 1175/1, 1175, 1176/1, 1176, 1177/1,
1177, 1178/1, 1178 कुल किता 08 कुल रकबा 1.55 हैक्ट. भूमि पर सृजित निजी खातेदारी की
आवासीय योजना "राधा गोविन्द नगर-बी" योजना अनुमोदित की गयी है। योजना मानचित्र
रिकॉर्ड शाखा में क्रमांक 936/बी दिनांक 14.09.2021 पर दर्ज किया गया है।

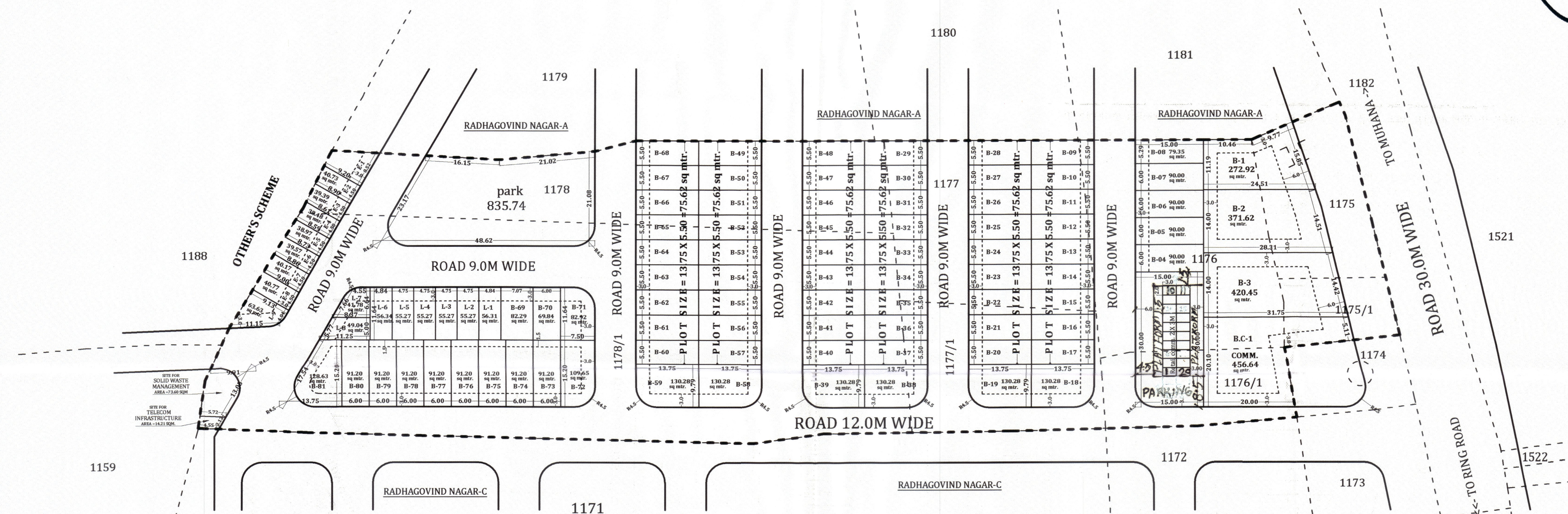
उपायुक्त, जिला-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

in KH. NO 1175, 1175/1, 1176, 1176/1, 1177, 1177/1, 1178, 1178/1 OF VILLAGE-MUHANA, TEHSIL-SANGANER, JAIPUR.

$$\begin{array}{r} 936 \\ \hline 3 \\ \hline 14.9.21 \end{array}$$


- योजना में सम्मिलित सभी खसरो की 90A का निर्णय दिनांक 4.2.2021 को हो चुका है। प्रति पृष्ठ सं 2-5/सी पर संलग्न है।
1. मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत आवेदित भूमि का भू-उपयोग U-1 (आवासीय) है। जिसमें आवासीय योजना अनुज्ञेय है।
 2. योजना की भूमि में रा.भू.र.अधिनियम की धारा 90B की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमाओं का प्रमाणीकरण अमीन द्वारा किया गया है।
 3. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी (एल.पी) की 301 वी बैठक दिनांक 23.7.2021 किया जा चुका है, जिसकी अनुपालना में अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है।
 4. योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर एवं सैट बैक्स जविरा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है।
 5. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 6. कार्यरत के भूखण्डों के नियमानुसार कर्ब दिये गये हैं।
 7. एल.टी./एच.टी. लाइन में प्रभावित भूखण्डों का पट्टा एल.टी./एच.टी. लाईन हटने के बाद दिया जावेगा।
 8. आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जविरा में रहन रखे जाते हैं। भूखण्ड संख्या B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-80, B-81 कुल 11 भूखण्ड क्षेत्रफल 1050.80 मीटर वर्ग।

सहायक नगर नियोजक
जोन-11

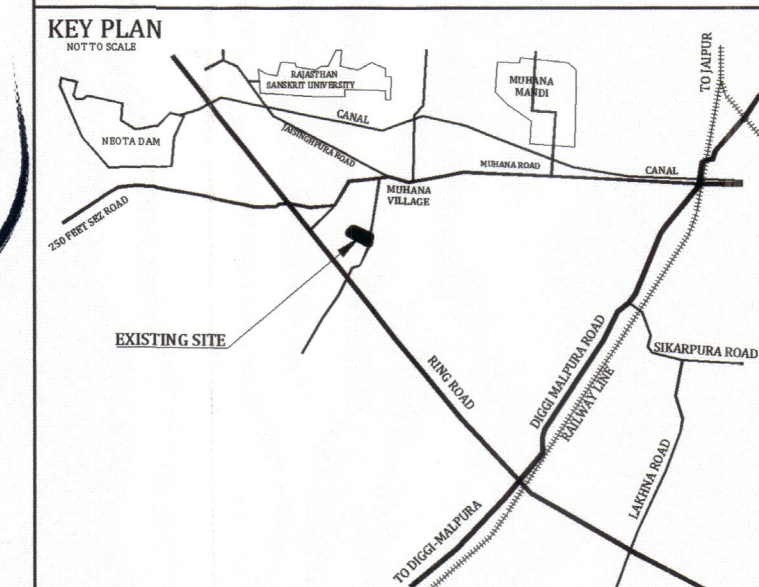
तहसीलदार
जोन-11

उपायुक्त/
जोन-11

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अति. मु. नगर नियोजक,
बी.पी.सी.(एल.पी.)

J.D.A.



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग - आवासीय

भूखण्डों की निर्माण स्थिति

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 1. | पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड - B - |
| 2. | चार दीवारी निर्मित भूखण्ड - C.W - |
| 3. | खाली भूखण्ड - V - |
| <hr/> | |
| | कल भूखण्ड - TOTAL |

AREA CALCULATION

Residential scheme (B-block) area analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mtr.)	Percent	
1	Residential	7572.69	48.85 %	58.05 %
2	Commercial	456.64	02.95 %	
3	Retail comm.	144.00	00.93 %	
4	Ews/Lig	823.96	05.32 %	
5	Park	835.74	05.39 %	
6	s.w.m.+telecom	87.81	00.57 %	41.95 %
7	Road	5048.35	32.57 %	
8	z.d.p. road	530.81	03.42 %	
	Total area	15500.00	100.00 %	100.00%

TOTAL PLOT'S	=	81
Retail comm.	=	20
EWS/LIG PLOT	=	17
COMM PLOT	=	01

ਮੰਗ

NAME OF SOCIETY :-

NIJI KHATEDARI

NAME OF SCHEME :-

RADHAGOVIND NAGAR-B

ZONE NO.- 11

SECTOR NO.-

SCALE:-1"=50'

DRG. NO.	
----------	--

वरिष्ठ नगर नियोजक
(बीपीसी एल.पी.)

अति. मुख्य नगर नियोजक
(बीपीसी एल.पी.)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL



BZ 779627

राजस्थान RAJASTHAN

Ganga Devi Meena W/o Mr. Dev Prakash Meena R/o A-39 Prem Colony Meena Nursery, Surya Nagar Taro Ki Kunt, Sanganer Bazar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan-302029 promoter of the proposed project "RADHAGOVIND NAGAR-II" situated at Khasra No. 1175, 1175/1, 1176, 1176/1, 1177, 1177/1, 1178, 1178/1, of Village-Muhana, Tehsil-Sanganer, District-Jaipur, State-Rajasthan, do hereby solemnly declare, undertake and state as under;

1. Jaipur Development authority has approved the project layout dated 10.02.2025 with a condition "एल.टी./एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का पट्टा एल.टी./ एच.टी. लाईन हटने के बाद दिया जावेगा।".
2. That, no saleable plots are affected by the LT/HT Line and we hereby undertake to shift the electric line during the development of the project. and the shifting of the electric line will not affect any plots in the project.
3. In the event of any contradictions arising in the future, the promoter shall bear full responsibility.

गंगा
Ganga Devi Meena
Deponent

VERIFICATION

I, Ganga Devi Meena W/o Mr. Dev Prakash Meena R/o A-39 Prem Colony Meena Nursery, Surya Nagar Taro Ki Kunt, Sanganer Bazar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan-302029, do hereby verify the contents in para No. 1 to 3 of my above Affidavit cum Declaration are true verified by me.

ATTESTED
17/4/25
NOTARY PUBLIC
SANGANER, JAIPUR (RAJ)
[GOVT. OF INDIA]

गंगा
Ganga Devi Meena
Deponent

17 APR 2025

क्रम संख्या 096 दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

निवासी

पदांक मूल्य

देवेन्द्र सैनी

स्टाम्प विक्रेता ला न. 48/2020-21
प्रताप नगर सागानेर जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रसारित अधिभार	
1 आधार भूत संरचना शुल्क (धारा 3-क) 10% राशि	8
2 गाय और बर्रादी नस्ल के मवेशी का शुल्क (धारा 3-ख) / पशुपति अधिनियम 1954 के अन्तर्गत वित्तियत शुल्क	5
हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता देवेन्द्र सैनी ला 48/2020-21	

हस्त-क्रेता/स्वय/